

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 12, 2023

संख्या प.2(41)विधि/2/2022.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 अप्रैल, 2023 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 9)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 अप्रैल, 2023 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए और उससे संसूक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2023 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विद्या परिषद्" से धारा 25 के अधीन यथागठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "सलाहकार परिषद्" से धारा 21 के अधीन गठित विश्वविद्यालय सलाहकार परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) "बोर्ड" से धारा 23 के अधीन गठित विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "'नियंत्रक'" से धारा 16 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "संकाय" से विश्वविद्यालय का कोई संकाय अभिप्रेत है;

(च) "'वित्त समिति'" से धारा 29 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(छ) "विहित" से परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "प्रति-कुलपति" से धारा 14 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का प्रति-कुलपति अभिप्रेत है;

(झ) "कुल-सचिव" से धारा 15 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुल-सचिव अभिप्रेत है;

(ञ) "परिनियम", "आर्डिनेन्स" और "विनियम" से धारा 44, 46 और 48 के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ट) "विश्वविद्यालय का छात्र" से ऐसा व्यक्ति, जो सम्यक् रूप से संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय में नामांकित हो, अभिप्रेत है;

(ठ) "अध्यापक" से शिक्षा देने या अनुसंधान संचालित करने और उसमें मार्गदर्शन करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यता प्राप्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे परिनियमों द्वारा अध्यापक होना घोषित किया जाये;

(ड) "विश्वविद्यालय" से धारा 3 के अधीन निगमित बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर अभिप्रेत है; और

(ढ) "विश्वविद्यालय विभाग" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाने वाला कोई विभाग अभिप्रेत है।

3. विश्वविद्यालय का निगमन.- (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, "बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर" के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे और उसका शाश्वत् उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उसमें निहित हो या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अंतरित या व्ययनित करने, और संविदा करने तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने के लिए सक्षम होगा:

परन्तु ऐसी सम्पत्ति का ऐसा कोई भी पट्टा, विक्रय, अंतरण या व्ययन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय जयपुर में होगा जो कुलपति का मुख्यालय होगा।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन, कुल-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगे और ऐसे वादों और कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं कुल-सचिव को जारी और उस पर तामील की जायेंगी।

4. अधिकारिता.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी विश्वविद्यालय की अधिकारिता का प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा और अन्य विश्वविद्यालयों के घटक महाविद्यालयों के सिवाय, पुनर्वास के समस्त महाविद्यालय/ संस्थाएं इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों और विनियमों के अनुसरण में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर से संबद्ध होंगे।

(2) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, -

(क) विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर-भीतर स्थित किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय से, ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, विधि द्वारा निगमित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से अपनी संबद्धता या दिये गये विशेषाधिकार समाप्त कर लेने की अपेक्षा कर सकेगी, या

(ख) आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय को, जिसका राज्य सरकार की राय में स्वायत्त होना या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय से सम्बद्ध किया जाना या विशेषाधिकारों का दिया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम द्वारा गठित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता या उसके विशेषाधिकार दिये जाने से, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, अपवर्जित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थित किसी भी सरकारी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय होना प्रगणित कर सकेगी। ऐसे महाविद्यालय की समस्त जंगम और स्थावर संपत्तियां तब विश्वविद्यालय में निहित हो जायेंगी और ऐसे महाविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी, स्क्रीनिंग के माध्यम से उपयुक्त पाये जाने पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो अधिसूचना में अधिकथित की जायें, की पूर्ति करने पर, विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक या, यथास्थिति, कर्मचारी समझे जायेंगे।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.- विश्वविद्यालय, अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए स्थापित और निगमित किया हुआ समझा जायेगा-

(क) पुनर्वास के क्षेत्र में विश्वविद्यालय को शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के एक राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित करना;

(ख) पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं उपलब्ध करवाकर ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना;

(ग) उत्कृष्टता के साथ वृत्तिक तैयार करना;

- (घ) पारंपरिक शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से संदर्भित दिव्यांगता, पुनर्वास अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी, समुदाय आधारित पुनर्वासों, पुनर्वास मनोविज्ञान, वाक् चिकित्सा, पुनर्वास चिकित्सा, व्यावसायिक परामर्श और पुनर्वास, योग और पंचकर्म चिकित्सा, समाज शास्त्र/सामाजिक कार्य/प्रबंधन इत्यादि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पुनर्वास पाठ्यक्रमों सहित, उभरते हुए क्षेत्रों में अध्ययन, अनुसंधान और विस्तार कार्य को सुकर बनाना और बढ़ावा देना;
- (ङ) नियमित और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सामान्य शिक्षा को सम्मिलित करते हुए, दिव्यांगता और उससे संबंधित विषयों पर अधिगम तथा ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार करना;
- (च) छात्रों और शोध विद्यार्थियों में विशेष शिक्षा, व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के संबंध में कौशल विकसित करके दिव्यांगता के क्षेत्र में समाज की सेवा करने के लिए उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना;
- (छ) शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें अन्य छात्रों के साथ-साथ एक सुगम वातावरण में उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाना;
- (ज) परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां तथा अन्य शैक्षणिक उपाधियां प्रदान करना; और
- (झ) ऐसी समस्त बातें, जो विश्वविद्यालय के समस्त या उनमें से किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक, आवश्यक या अनुकूल हों, करना।

6. विश्वविद्यालय में प्रवेश.- (1) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समस्त व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय से-

- (क) किसी भी पाठ्यक्रम में ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विहित शैक्षणिक अर्हता या स्तरमान नहीं रखता है, प्रवेश दिया जाना; या
- (ख) विश्वविद्यालय की नामावलियों पर ऐसे किसी छात्र को, जिसका शैक्षणिक अभिलेख कोई डिग्री, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि प्रदान किये जाने के लिए न्यूनतम मानक स्तरमान से कम हो, रखे रखना; या
- (ग) ऐसे किसी व्यक्ति या किसी छात्र को, जिसका आचरण विश्वविद्यालय के हितों या अनुशासन के या अन्य छात्रों और कर्मचारियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रतिकूल हो, प्रवेश देना या रखे रखना; या

(घ) किसी भी पाठ्यक्रम में, विहित से अधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश दिया जाना, अपेक्षित नहीं होगा।

(3) उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों और छात्राओं के लिए प्रवेश में स्थानों का आरक्षण तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार या राज्य सरकार की नीति के अनुसार किया जायेगा।

7. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.- विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

- (i) अनुसंधान, शिक्षा और शिक्षण के लिए विश्वविद्यालय और ऐसे केन्द्रों, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं, का प्रशासन और प्रबंधन करना;
- (ii) राज्य के ऐसे महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों को, जो ज्ञान की परंपरागत शाखाओं के अतिरिक्त भारतीय पुनर्वास परिषद् के मानकों के अनुसार विशेष शिक्षा, जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे, प्रदान करते हैं, को संबद्ध करना, परीक्षाएं आयोजित कराना और डिग्रियां प्रदान करना तथा डिप्लोमे या प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी

विशेष उपाधियां ऐसी शर्तों पर देना जैसाकि विश्वविद्यालय अवधारित करे। संबद्धता उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन के अध्यक्षीन रहते हुए प्रत्याहृत की जा सकती है;

- (iii) दिव्यांगता से संबंधित अधिगम के ज्ञान की ऐसी शाखाओं में शिक्षण के उपबंध करना जैसाकि विश्वविद्यालय उचित समझे, और अनुसंधान के लिए तथा दिव्यांगता के सम्बन्ध में ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए उपबंध करना;
- (iv) दिव्यांगता और सामाजिक विकास के समस्त पहलुओं में अनुसंधान प्रायोजित करना और जिम्मा लेना;
- (v) किसी डिग्री या किसी डिप्लोमा के लिए पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय में छात्रों की अर्हताएं विहित करना और प्रवेश को विनियमित करना;
- (vi) बाह्य अध्यापन और विस्तार सेवाएं आयोजित करना और उनका जिम्मा लेना;
- (vii) ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षाएं आयोजित कराना और व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र देना, और उपाधि तथा अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना और ठोस और पर्याप्त कारण से किन्हीं ऐसे डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों, डिग्री या अन्य विद्या संबंधी उपाधियों को वापस लेना;
- (viii) मानक डिग्री या अन्य उपाधियां ऐसी रीति से, जैसी कि विहित की जाये, प्रदान करना;
- (ix) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, मांग करना और प्राप्त करना;
- (x) हॉल और छात्रावासों की स्थापना करना तथा उनका संधारण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास-स्थानों को मान्यता प्रदान करना और ऐसे किसी निवास-स्थान को अनुदत्त की गयी मान्यता को वापस लेना;
- (xi) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास-स्थान का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना तथा उनके अनुशासन का विनियमन करना और उनके स्वास्थ्य की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना;
- (xii) छात्रों के निवास-स्थान, अनुशासन और अध्यापन के संबंध में व्यवस्था करना;
- (xiii) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों को सृजित करना;
- (xiv) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मध्य अनुशासन को विनियमित करना और पालन कराना तथा ऐसे अनुशासनात्मक अध्यापन करना, जो आवश्यक समझे जायें;
- (xv) शिक्षण, अनुसंधान संस्थित करना और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य पदों पर तदनुसार नियुक्तियां करना;
- (xvi) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए और उन उद्देश्यों से संगत, जिनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, के लिए अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान और दान प्राप्त करना तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकारियों या निकायों से अनुदान प्राप्त करने के लिए कोई करार करना;
- (xvii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार और पदक संस्थित तथा प्रदान करना;
- (xviii) अनुसंधान और अन्य संकर्मों के मुद्रण, प्रत्युत्पादन तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना और प्रदर्शनियां आयोजित करना;
- (xix) दिव्यांगता, सामाजिक विकास और सहबद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मामलों में किसी अन्य संगठन के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिस पर सहमति हो, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, सहकार करना;

- (xx) विश्व के किसी भी भाग में उच्च अधिगम की संस्थाओं, जिनके उद्देश्य पूर्णतः या भागतः विश्वविद्यालय के समरूप हों, से शिक्षकों और विद्वानों के आदान-प्रदान द्वारा और सामान्यतया ऐसी रीति से, जो सामान्य उद्देश्यों के अनुकूल हो, सहकार करना;
- (xxi) विश्वविद्यालय के व्ययों का विनियमन करना और लेखाओं का प्रबंध करना;
- (xxii) विश्वविद्यालय परिसर के भीतर या अन्यत्र ऐसी कक्षाएं और अध्ययन हॉलों की स्थापना और रख-रखाव करना, जैसाकि विश्वविद्यालय आवश्यक समझे और उनकी पर्याप्त रूप से साज-सज्जा करना तथा ऐसे पुस्तकालयों और वाचनालयों, जो विश्वविद्यालय के लिए सुविधाजनक या आवश्यक प्रतीत हों, की स्थापना और उनका रख-रखाव करना;
- (xxiii) कोई भूमि या भवन या संकर्म, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें ठीक और उचित समझा जाये, को क्रय करना, अर्जित करना, पट्टे पर लेना या दान के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना, और ऐसे किसी भवन या संकर्म का निर्माण करना, या परिवर्तन करना और रख-रखाव करना;
- (xxiv) विश्वविद्यालय के हितों और क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निबंधनों पर जो ठीक और उचित समझे जायें, विश्वविद्यालय की समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्तियों, या उसके किसी भाग का विक्रय करना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या अन्यथा व्ययन करना:
परंतु जहां संपत्तियां राज्य या केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से सृजित की गयी हैं, वहां राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा;
- (xxv) भारत सरकार के और अन्य वचनपत्रों, विनिमय पत्रों, चेकों या अन्य परक्राम्य लिखतों को आहरित करना और स्वीकार करना, बट्टा और परक्रामण करना और पृष्ठांकित करना;
- (xxvi) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों को सम्मिलित करते हुए जंगम या स्थावर संपत्ति के संबंध में हस्तांतरणों, अंतरण, प्रतिहस्तांतरणों, बंधकों, पट्टों, अनुज्ञप्तियों और करारों का निष्पादन करना;
- (xxvii) विश्वविद्यालय की किसी लिखत का निष्पादन या किसी कारबार का संव्यवहार करने के उद्देश्य से, किसी व्यक्ति को, जैसा वह उचित समझे, नियुक्त करना;
- (xxviii) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकारियों के साथ कोई करार करना;
- (xxix) विश्वविद्यालय की समस्त या किन्हीं सम्पत्तियों और आस्तियों पर वित्तपोषित या आधारित बंधपत्रों, बंधकों, वचनपत्रों या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों पर, या बिना किसी प्रतिभूतियों के और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसा वह उचित समझे, धन जुटाना या उधार लेना और धन जुटाने के लिए आनुषंगिक समस्त व्ययों का विश्वविद्यालय की निधियों में से संदाय करना और उधार लिये गये किसी धन का प्रतिसंदाय और मोचन करना;
- (xxx) विश्वविद्यालय की निधि या विश्वविद्यालय को न्यस्त की गयी निधि का ऐसी प्रतिभूतियों में या पर ऐसी रीति से, जैसा वह ठीक समझे, विनिधान करना और किसी भी विनिधान को समय-समय पर बदलना;
- (xxxi) शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्वधीन जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाये, जो वह उचित समझे, पेंशन, बीमा, भविष्यनिधि और उपदान गठित करना और ऐसे अनुदान देना जो

विश्वविद्यालय के किन्हीं कर्मचारियों के फायदे के लिए वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृंद और छात्रों के फायदे के लिए संगमों, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और हस्तांतरण की स्थापना और समर्थन में सहायता करना;

(xxxii) ऐसे अन्य समस्त कार्य और बातें करना, जैसाकि विश्वविद्यालय अपने समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति या विस्तार के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे।

8. कुलाधिपति. - (1) राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और उपस्थित होने पर, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां उन्हें प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को प्रदान करेगा।

(3) कुलाधिपति स्वप्रेरणा से या आवेदन पर, किसी भी कार्यवाही के संबंध में, ऐसी कार्यवाही की नियमितता या उसमें किये गये किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के लिए विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी का अभिलेख मंगवा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा; और यदि किसी भी मामले में कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसे विनिश्चय या आदेश को उपांतरित, बातिल किया जाना, उलटा जाना, या पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कुलाधिपति को प्रत्येक आवेदन उस तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर किया जायेगा जिसको वह कार्यवाही, विनिश्चय या आदेश, जिससे कि आवेदन संबंधित है, आवेदक को संसूचित किया गया था:

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त या समनुदेशित किये जायें।

9. निरीक्षण. - (1) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे-

(क) विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का; या

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्थान, संस्था या छात्रावास का; या

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किये जा रहे अध्यापन और अन्य कार्य का; या

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का, निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा वह निदेश दे, जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।

(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा और उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय सीमा नियत कर सकेगा।

(5) विश्वविद्यालय, इस प्रकार नियत समय सीमा के भीतर, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय नियत समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं करता है या यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय द्वारा

दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेश का पालन करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय, उप-धारा (6) के अनुसार जारी किये गये ऐसे निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो इस निमित्त कुलाधिपति द्वारा नियत किया जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को ऐसे निदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए स्वविवेक से किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और ऐसे आदेश करने की शक्ति होगी जो उसके व्ययों के लिए आवश्यक हो।

10. विश्वविद्यालय के अधिकारी और प्राधिकारी.- विश्वविद्यालय के अधिकारी और प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारी-

- (i) कुलपति;
- (ii) प्रतिकुलपति;
- (iii) कुल-सचिव;
- (iv) नियंत्रक;
- (v) संपदा अधिकारी;
- (vi) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;
- (vii) संकायों के संकायाध्यक्ष; और
- (viii) विश्वविद्यालय की सेवा में के ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी होना घोषित किया जाये।

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी-

- (i) सलाहकार परिषद्;
- (ii) प्रबंध बोर्ड;
- (iii) विद्या परिषद्;
- (iv) संकाय;
- (v) अध्ययन बोर्ड;
- (vi) वित्त समिति; और
- (vii) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

11. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक, प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो।

(3) कुलपति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-

- (क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;
- (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;
- (ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और
- (घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध उच्च शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा।

(5) खोजबीन समिति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी।

(6) कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए खोजबीन समिति, लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्च शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देगी और अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ संलग्न करेगी।

(7) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(8) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(9) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (3) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(10) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा, जो राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के, राज्य-विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा, निर्वहन के लिए व्यवस्था करायेगा।

(11) कुलपति किसी भी समय, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, पद का त्याग कर सकेगा।

(12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जायेगी।

(13) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(14) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(15) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(16) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्णवैतनिक छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।

(17) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति, कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो कुलाधिपति अवधारित करे, नियुक्त किया जायेगा।

(18) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक, प्रशासनिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा। उसे ऐसी समस्त शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के सही-सही अनुपालन के लिए आवश्यक हों।

(19) कुलपति को, जहां तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो, ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जिससे ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग या ऐसे किसी भी कृत्य का पालन हो जिसका प्रयोग या पालन किसी भी प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किया जाये:

परन्तु ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए की जायेगी जो उस विषय पर सामान्य अनुक्रम में कार्यवाही करता:

परन्तु यह और कि यदि वह कार्रवाई, जिसकी कि इस प्रकार रिपोर्ट की गयी है, बोर्ड से इतर ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती है तो वह विषय बोर्ड को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा और बोर्ड के ही ऐसा प्राधिकारी होने की दशा में वह विषय कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(20) कुलपति, यह समाधान हो जाने पर कि किसी प्राधिकारी द्वारा की गयी कोई कार्रवाई या आदेश विश्वविद्यालय के हित में नहीं है या ऐसे प्राधिकारी की शक्तियों के परे है, प्राधिकारी से उसकी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने की अपेक्षा कर सकेगा। यदि प्राधिकारी उस तारीख से, जिसको कि कुलपति ने ऐसी अपेक्षा की है, साठ दिवस के भीतर-भीतर अपनी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने से इन्कार कर देता है या इसमें विफल रहता है तो वह विषय अंतिम विनिश्चय के लिए बोर्ड या, यथास्थिति, कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा।

12. कुलपति का हटाया जाना. - (1) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इन्कार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलम्बित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लम्बित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

13. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य. - (1) कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय से संबंधित मामले बोर्ड को उसके विचार-विमर्श और विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा। उसे बोर्ड और विद्या परिषद् और ऐसे अन्य प्राधिकारियों और निकायों, जैसेकि विहित किये जायें, की बैठकें बुलाने की शक्ति होगी।

(4) कुलपति का विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण होगा और वह विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) कुलपति इस अधिनियम और परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबंधों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करेगा और उसे ऐसी समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(6) किसी आपात में, जिसमें कुलपति की राय में तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित हो, कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट, शीघ्रतम अवसर पर, ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को करेगा जो उस मामले में सामान्य अनुक्रम में कार्रवाई करता।

(7) जहां कुलपति द्वारा उप-धारा (6) के अधीन की गयी किसी कार्रवाई से विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति पर उसके लिए अलाभकारी प्रभाव पड़ता है, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी तारीख से, जिसको उसे की गयी कार्रवाई से संसूचित किया जाये, तीस दिवस के भीतर-भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(8) पूर्वोक्त के अध्यक्षीन रहते हुए, कुलपति, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन और पदच्युति संबंधी बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा।

(9) कुलपति, अध्यापन, अनुसंधान और अन्य कार्य के निकट समन्वय और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जायें।

14. प्रतिकुलपति. - विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति की नियुक्ति ऐसी रीति से, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

15. कुल-सचिव. - (1) कुल-सचिव विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह सीधे ही कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुल-सचिव राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में के अधिकारियों (चयनित वेतनमान से अनिम्न) में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) कुल-सचिव बोर्ड, विद्या परिषद् और ऐसे किसी भी प्राधिकारी, जिसे परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी होना घोषित किया जाये, का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(4) कुल-सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह-

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगा जिन्हें बोर्ड उसके भारसाधन में सुपुर्द करे; और

(ख) बोर्ड, विद्या परिषद्, संकाय, अध्ययन बोर्ड और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की बैठक बुलाने के लिए समस्त नोटिस जारी करेगा।

(5) (i) जहां बोर्ड की कोई कार्यवाही या संकल्प, या कुलपति का कोई आदेश इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों से असंगत हो, वहां कुल-सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह सुसंगत उपबंधों का उल्लेख करते हुए बोर्ड या कुलपति को सलाह देगा और बोर्ड की बैठक की कार्यवाहियों में या कुलपति के आदेश पर इस तथ्य को अभिलिखित करेगा कि उसने ऐसी सलाह दे दी थी और तदुपरांत ऐसी कार्यवाहियों, संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत करेगा, और ऐसा संकल्प या आदेश पारित होने या, यथास्थिति, ऐसी कार्यवाहियां चलाने के सात दिवस के भीतर-भीतर कुलाधिपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को मामले की संसूचना सुनिश्चित करेगा।

(ii) उप-खण्ड (i) के अधीन रिपोर्ट किये गये विसम्मति के टिप्पण के परीक्षण के पश्चात्, कुलाधिपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अंतरिम या स्थायी आदेश, जो वह ठीक समझे, दे सकेगा, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होगा:

परन्तु यदि विसम्मति के टिप्पण की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर ऐसा कोई अंतरिम या अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाये तो बोर्ड या, यथास्थिति, कुलपति, कार्यवाहियों या संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर ऐसे कार्यवाही कर सकेगा मानो कि विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(6) कुल-सचिव धारा 43 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) कुल-सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किये जायें या जिनकी कुलपति या बोर्ड द्वारा उससे समय-समय पर अपेक्षा की जाये।

16. नियंत्रक. - (1) नियंत्रक, विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त, लेखा और संपरीक्षा अधिकारी होगा। वह सीधे ही कुलपति के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(2) इस अधिनियम या, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, नियंत्रक राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों (चयनित वेतनमान से अनिम्न) में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) नियंत्रक वित्त समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(4) नियंत्रक-

- (क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और विश्वविद्यालय को उसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा;
- (ख) न्यास और विन्यास सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिधानों का वित्त समिति और बोर्ड के विनिश्चयों के अनुसार प्रबंध करेगा; और
- (ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा समनुदेशित किये जायें या जो विहित किये जायें:

परन्तु नियंत्रक, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, ऐसी रकम से अधिक, जो विहित की जाये, कोई व्यय उपगत या कोई भी विनिधान नहीं करेगा।

(5) बोर्ड के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, नियंत्रक-

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय बोर्ड द्वारा नियत सीमाओं से अधिक न हो और समस्त धन उन प्रयोजनों के लिए व्यय किये जायें जिनके लिए वे मंजूर या आबंटित किये गये हैं;
- (ख) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं, वित्तीय प्राक्कलनों और बजट को तैयार करने और उनको वित्त समिति और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ग) नकदी और बैंक अतिशेषों और विनिधानों पर बराबर नजर रखेगा;
- (घ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण की लागू की गयी पद्धतियों पर सलाह देगा;
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपस्करों के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित समस्त कार्यालयों, प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों और संस्थाओं में उपस्करों और अन्य खपने वाली सामग्री के सम्बन्ध में स्टॉक की जांच की जाती है;
- (च) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा विनिधान से अन्यथा ऐसा कोई भी व्यय उपगत नहीं किया जाये जो बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया हो और किसी भी अनधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितता को कुलपति और कुल-सचिव के ध्यान में लायेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली समुचित कार्रवाई का सुझाव देगा;
- (छ) ऐसे किसी व्यय को नामंजूर करेगा जो किसी भी परिनियम के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो या जिसके लिए परिनियम द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित है किन्तु नहीं किया गया है;
- (ज) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी कार्यालय, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से ऐसी सूचना या विवरणियां प्राप्त करेगा जिन्हें वह अपनी शक्तियों के प्रयोग, कृत्यों के पालन या कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे; और
- (झ) धारा 35, 36 और 37 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

17. सम्पदा अधिकारी और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष.- (1) बोर्ड निम्नलिखित किसी भी एक या अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) सम्पदा अधिकारी; और

(ख) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष।

(2) सम्पदा अधिकारी विश्वविद्यालय के समस्त भवनों, लॉनों, उद्यानों और अन्य स्थावर सम्पत्ति का भारसाधक होगा।

(3) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

- (क) छात्रों के आवासन की व्यवस्था करना;
- (ख) छात्रों को परामर्श देने के लिए कार्यक्रम निदिष्ट करना;
- (ग) कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के नियोजन के लिए व्यवस्था करना;
- (घ) छात्रों के पाठ्येतर क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय के स्नातकों को नौकरी दिलाने में सहायता करना; और
- (च) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को संगठित करना और उनसे सम्पर्क बनाये रखना।

18. संकायों के संकायाध्यक्ष और उनके कृत्य. - (1) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा।

(2) कुलपति द्वारा संकायों के संकायाध्यक्ष ऐसी रीति से नियुक्त किये जायेंगे जो विहित की जाये।

(3) संकायाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

19. अन्य अधिकारी और कर्मचारी. - धारा 10 के खण्ड (क) में उल्लिखित अन्य अधिकारियों की और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उनके कृत्य ऐसे होंगे जो इस अधिनियम में उपबंधित किये जायें या परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

20. अधिकारियों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक. - विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को विश्वविद्यालय में किसी भी कार्य के लिए, परिनियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह उसे स्वीकार करेगा।

21. सलाहकार परिषद् का गठन और संरचना. - (1) विश्वविद्यालय की एक सलाहकार परिषद् होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्; -

- (i) कुलाधिपति द्वारा नियुक्त, विशेष योग्यजनों के कल्याण के क्षेत्र में राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त कोई व्यक्ति, जो सलाहकार परिषद् का अध्यक्ष होगा;
- (ii) कुलपति;
- (iii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (iv) उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (v) चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (vi) आयुर्वेद विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (vii) कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर;
- (viii) कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा;
- (ix) कुलपति, राजस्थान नेतृत्व विकास कौशल संस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर;
- (x) निदेशक, पुनर्वास और अनुसंधान केन्द्र, सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर;
- (xi) आयुक्त/निदेशक, विशेष योग्यजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर;
- (xii) राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, भारत सरकार का निदेशक या उसका नामनिर्देशिती;
- (xiii) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, भारत सरकार का निदेशक या उसका नामनिर्देशिती;
- (xiv) राष्ट्रीय वाक् और श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, भारत सरकार का निदेशक या उसका नामनिर्देशिती;
- (xv) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, भारत सरकार का निदेशक या उसका नामनिर्देशिती;

- (xvi) भारतीय पुनर्वास परिषद् का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती;
- (xvii) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले उच्च शिक्षा के क्षेत्र से पांच शिक्षाविद्;
- (xviii) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले चिकित्सा या पुनर्वास के क्षेत्र से विख्यात पांच व्यक्ति; और
- (xix) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव।

स्पष्टीकरण.- खण्ड (iii), (iv), (v) और (vi) के प्रयोजन के लिए, 'प्रभारी सचिव' से उस विभाग का प्रभारी सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

- (2) सलाहकार परिषद् की बैठक में एक तिहाई उपस्थित सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।
- (3) सलाहकार परिषद् का अध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसाकि इस अधिनियम में उपबंधित है या जो विहित की जायें।
- (4) सदस्य बिना किसी अतिरिक्त वेतन के सेवा करेंगे किन्तु ऐसे दैनिक भत्ते और यात्रा व्यय के हकदार होंगे जो विहित किये जायें।
- (5) सलाहकार परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त सलाहकार परिषद् के सदस्य-सचिव द्वारा अभिलिखित और संधारित किया जायेगा।

22. सलाहकार परिषद् के कर्तव्य और कृत्य.- सलाहकार परिषद् के कर्तव्य और कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

- (क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए अध्यापक सुझाना;
- (ख) विश्वविद्यालय को उसके उद्देश्यों की बाबत मार्गदर्शन प्रदान करने वाले किसी मामले के सम्बन्ध में कुलपति को सलाह देना; और
- (ग) ऐसे अन्य कर्तव्य या कृत्य जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

23. प्रबंध बोर्ड का गठन और संरचना.- (1) बोर्ड विश्वविद्यालय का उच्चतम कार्यपालक निकाय होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(I) विश्वविद्यालय का कुलपति - अध्यक्ष;

(II) पदेन सदस्य-

- (i) वित्त विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (ii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (iii) उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (iv) श्रम और कौशल विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (v) चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (vi) स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (vii) आयुर्वेद विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (viii) आयुक्त/निदेशक, विशेष योग्यजन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार;
- (ix) निदेशक, मालवीय राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, जयपुर;

- (x) आयुक्त/निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार;
- (xi) कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर;
- (xii) प्रति-कुलपति; और
- (xiii) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव।

स्पष्टीकरण. - खण्ड (i) से (vii) के प्रयोजन के लिए, 'प्रभारी सचिव' से उस विभाग का प्रभारी सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(III) नामनिर्देशित सदस्य-

- (i) कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिए संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों में से नामनिर्देशित दो व्यक्ति;
 - (ii) कुलाधिपति द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो विश्वविद्यालय आचार्य;
 - (iii) कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्;
 - (iv) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले, राज्य विधान-मण्डल के दो सदस्य; और
 - (v) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्।
- (2) बोर्ड की बैठक में उपस्थित एक तिहाई सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।
- (3) बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम में उपबंधित हैं या जो विहित की जायें।
- (4) सदस्य किसी भी अतिरिक्त वेतन के बिना सेवा करेंगे किन्तु ऐसे दैनिक भत्ते और यात्रा व्यय के हकदार होंगे जो विहित किये जायें।
- (5) बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त बोर्ड के सदस्य-सचिव द्वारा अभिलिखित और संधारित किया जायेगा।

24. बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य.- बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

- (क) विश्वविद्यालय के बजट को अनुमोदित और मंजूर करना;
- (ख) विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों को अर्जित करना, व्ययनित करना, धारित करना और नियंत्रित करना और विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी साधारण या विशेष निदेश जारी करना;
- (ग) विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति के अन्तरण को स्वीकार करना;
- (घ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधीन रखी गयी किन्हीं भी निधियों का प्रबंध करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय के धन का विनिधान करना;
- (च) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक और अन्य स्टाफ के सदस्यों को ऐसी रीति से नियुक्त करना, जो विहित की जाये;
- (छ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के प्ररूप और उपयोग का निदेश देना;
- (ज) स्थायी या अस्थायी ऐसी समितियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह अपने उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे;
- (झ) पूंजीगत सुधारों के लिए धन उधार लेना और उसके प्रतिसंदाय के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना;
- (ञ) ऐसे समय पर और इतनी बार बैठकें करना जितनी वह आवश्यक समझे, परन्तु बोर्ड की नियमित बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी;
- (ट) विश्वविद्यालय के सुचारु कार्यकरण के लिए इस अधिनियम में विहित रीति से परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों को बनाना; और

- (ठ) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों को इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विनियमित और अवधारित करना और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम और परिनियमों द्वारा बोर्ड को प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें।

25. विद्या परिषद्.- (1) विश्वविद्यालय की एक विद्या परिषद् होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- (क) कुलपति - पदेन अध्यक्ष;
- (ख) प्रति कुलपति;
- (ग) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला प्रत्येक संकाय से एक आचार्य;
- (ङ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो;
- (च) उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो;
- (छ) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;
- (ज) पुनर्वास अध्ययन के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हों, जिनमें से एक कुलाधिपति द्वारा और दूसरा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा; और
- (झ) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव।

स्पष्टीकरण.- खण्ड (ङ) और (च) के प्रयोजन के लिए, 'प्रभारी सचिव' से उस विभाग का प्रभारी सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(2) नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

26. विद्या परिषद् के कृत्य.- (1) इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनेन्सों, और विनियमों के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, विद्या परिषद् शैक्षणिक मामलों का नियंत्रण तथा साधारण विनियमन रखेगी और विश्वविद्यालय के अनुदेशों और परीक्षाओं के स्तरमानों को बनाए रखने के लिए और डिग्रियां तथा डिप्लोमे प्रदान करने की अपेक्षाओं के लिए उत्तरदायी होगी। विद्या परिषद्-

- (i) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर नियंत्रण करेगी और विश्वविद्यालय में अनुदेश, शिक्षा और मूल्यांकन के स्तरमानों को बनाये रखने और सुधार के लिए उत्तरदायी होगी;
- (ii) स्वयं की पहल से या विश्वविद्यालय के संकाय या बोर्ड के निर्देश पर साधारण शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करेगी और उस पर समुचित कार्रवाई करेगी; और
- (iii) छात्रों के अनुशासन को सम्मिलित करते हुए, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कृत्यकरण से सम्बन्धित ऐसे विनियम, जो इस अधिनियम से संगत हो, की बोर्ड को सिफारिश करेगी।

(2) विद्या परिषद्, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा बोर्ड को प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें और सभी शैक्षणिक मामलों पर कुलपति को सलाह देगी।

27. संकायों की संरचना और कृत्य.- (1) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) प्रत्येक संकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:-

- (क) संकाय का संकायाध्यक्ष - अध्यक्ष;
- (ख) संकाय को समनुदेशित विषयों के विश्वविद्यालय आचार्य;
- (ग) संकाय में अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष; और
- (घ) विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्देशित दो बाह्य विशेषज्ञ।

(3) संकाय ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

28. अध्ययन बोर्ड.- (1) अध्ययन बोर्ड इतने होंगे जितने परिनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।
(2) अध्ययन बोर्ड ऐसी रीति से गठित किया जायेगा, ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें।

29. वित्त समिति.- (1) वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगी, अर्थात्:-

- (क) कुलपति, जो समिति का अध्यक्ष होगा;
- (ख) वित्त विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (ग) सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (घ) चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (ङ) प्रति कुलपति;
- (च) बोर्ड द्वारा इसके अशासकीय सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जाने वाला बोर्ड का एक सदस्य;
- (छ) बोर्ड द्वारा चक्रानुक्रम में नामनिर्देशित किये जाने वाले दो आचार्य; और
- (ज) नियंत्रक, जो समिति का सदस्य-सचिव होगा।

स्पष्टीकरण.- खण्ड (ख), (ग) और (घ) के प्रयोजन के लिए, 'प्रभारी सचिव' से उस विभाग का प्रभारी सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(2) खण्ड (च) और (छ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

30. वित्त समिति के कृत्य.- इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, वित्त समिति मुख्यतः निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-

- (i) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और वार्षिक बजट प्राक्कलनों का परीक्षण करना और उन पर बोर्ड को सलाह देना;
- (ii) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना;
- (iii) विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित समस्त नीतिगत विषयों पर बोर्ड को सिफारिशें करना;
- (iv) निधियों के सृजन, प्राप्तियों और व्ययों को अन्तर्वलित करने वाले समस्त प्रस्तावों पर बोर्ड को सिफारिशें करना;
- (v) अधिशेष निधियों के विनिधान के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;
- (vi) ऐसे समस्त प्रस्तावों पर, जिनमें ऐसा व्यय अंतर्वलित हो, जिसके लिए बजट में कोई उपबंध नहीं किया गया हो या जिनके लिए बजट में उपबंधित रकम से अधिक व्यय उपगत किये जाने की आवश्यकता हो, बोर्ड को सिफारिशें करना;
- (vii) वेतनमानों के पुनरीक्षण, वेतनमानों के उन्नयन और उन मदों, जो बोर्ड के समक्ष रखे जाने के पूर्व बजट में सम्मिलित न की गयी हों, से संबंधित समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करना; और
- (viii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इसे विनियमों द्वारा प्रदत्त की जायें या इस पर अधिरोपित किये जायें।

31. विश्वविद्यालय का अध्यापन.- (1) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त अध्यापन, विश्वविद्यालय विभागों में या उसके संस्थानों और संस्थाओं में संचालित किये जायेंगे।

(2) ऐसे अध्यापन का संचालन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।

(3) पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन और पाठ्यक्रम ऐसे होंगे जो आर्डिनेन्सों द्वारा और तदधीन रहते हुए, विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

32. विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी.- (1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(2) परिनियमों द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय, विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किये जायेंगे। संविदा कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित अध्यापक या अधिकारी को दी जायेगी। सेवा की शर्तों के संबंध में संविदा इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त परिनियमों के उपबंधों से असंगत नहीं होगी।

33. सेवानिवृत्ति की आयु.- परिनियमों में किसी भी प्रतिकूल उपबंध के या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के किन्हीं भी निदेशों या नीति के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी सामान्यतः साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे।

34. पेंशन या भविष्य निधि.- (1) विश्वविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिकवर्गीय स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, ऐसी पेन्शन, उपदान, बीमा और भविष्य निधि का गठन करेगा जो वह उचित समझे।

(2) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 19) के उपबंध किसी निधि या बीमा स्कीम पर इस प्रकार लागू होंगे मानों कि वह राज्य सरकार की निधि या स्कीम हो और विश्वविद्यालय ऐसी निधि या स्कीम में अंशदान या विनिधान करेगा।

(3) परिनियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया जायेगा कि राज्य की सेवा में के नियोजन से स्थानान्तरित स्टाफ सदस्यों को ऐसे स्थानान्तरण पर संरक्षित उनके प्रोद्भूत सेवा फायदे मिलें।

35. विश्वविद्यालय निधि.- (1) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय निधि के नाम से एक निधि स्थापित, संधारित करेगा और उसका प्रबंध करेगा।

(2) निम्नलिखित धनराशियां विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी, अर्थात्:-

(क) राज्य सरकार द्वारा कोई भी अंशदान या अनुदान;

(ख) विश्वविद्यालय को समस्त स्रोतों से उद्भूत होने वाली आय जिसमें फीस और प्रभारों से आय सम्मिलित है;

(ग) न्यास, वसीयत, संदान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हों; और

(घ) ऐसा अन्य धन जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाये।

(3) वे मामले, जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जा सकेगी, ऐसे होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी उपबंध के अधीन और उसके अनुसरण में उपगत समस्त व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय निधि से की जायेगी।

(5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय संपत्तियों की प्रतिभूति पर और राज्य सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेने की शक्ति होगी।

36. लेखे और संपरीक्षा.- (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलपति के निदेश के अधीन, नियंत्रक द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) नियंत्रक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों में विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगा।

(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखाओं और वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति की टिप्पणियों सहित, बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।

(4) लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जैसाकि राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(5) संपरीक्षित होने पर लेखाओं को मुद्रित किया जायेगा और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(6) विश्वविद्यालय संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।

37. राज्य सरकार का नियंत्रण.- जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं, वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित है, अर्थात्:-

- (क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;
- (ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति-पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;
- (ग) अपने किन्हीं भी अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को किसी अतिरिक्त/विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक जिसमें वित्तीय विवक्षा रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदे सम्मिलित हैं, की मंजूरी;
- (घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;
- (ङ) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरण;
- (च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना; और
- (छ) ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

स्पष्टीकरण.- पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित ऐसे पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे दीर्घकाल में राज्य सरकार पर वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना हो।

38. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा.- (1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित किसी भी मामले में, जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर आवश्यक होंगे।

39. सदस्यता संबंधी अनुपूरक उपबंध.- (1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां यथासंभव शीघ्र, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा उसी प्रकार भरी जायेंगी जिस प्रकार सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया था और किसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्देशित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का ऐसी अवशिष्ट कालावधि के लिए सदस्य रहेगा जितनी अवधि के लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, यदि स्थान रिक्त नहीं हुआ होता तो बना रहता।

(2) कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में कोई भी पद, विश्वविद्यालय का कोई भी अन्य पद धारण करने के आधार पर या अन्यथा धारण करता है, ऐसा पद तब तक, जब तक कि वह अन्य पद धारण करता है, धारण करेगा और तत्पश्चात् तब तक धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी सम्यक् रूप से नामनिर्देशित या, यथास्थिति नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।

(3) बोर्ड ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी नहीं हो, किसी भी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता से या विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को इस आधार पर हटा

सकेगा कि ऐसा व्यक्ति या कर्मचारी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए या ध्वंसक गतिविधियों में भाग लेने के लिए या विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए अशोभनीय किसी कार्य या कार्यों में भाग लेने के आधार पर सिद्धदोष ठहराया गया है:

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति या कर्मचारी को इस उप-धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे बोर्ड द्वारा यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो कि उसे इस प्रकार क्यों नहीं हटा दिया जाना चाहिए और ऐसे हेतुक पर विचार नहीं कर लिया गया हो:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

(4) यदि ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में, जो बोर्ड के अधीनस्थ विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है या इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन बोर्ड के किसी भी विनिश्चय के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को, उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

40. विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों की कार्यवाहियों का किसी भी रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होना. - विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का कोई कार्य, या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण या ऐसे किसी व्यक्ति के कार्यवाहियों में भाग लेने के कारण, जो तत्पश्चात् ऐसा करने का हकदार नहीं पाया जाता है, अविधिमान्य नहीं होगी।

41. पदनाम में परिवर्तन की दशा में सरकारी अधिकारियों के प्रति निर्देश का अर्थ तत्समान अधिकारियों के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाना. - जहां इस अधिनियम के या परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों के किसी भी उपबंध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी का निर्देश पदनाम से हो वहां, यदि वह पदनाम परिवर्तित कर दिया जाता है या वह पद अस्तित्वहीन हो जाता है तो, उक्त निर्देश का अर्थ परिवर्तित पदनाम या, यथास्थिति, ऐसे तत्समान अधिकारी, जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।

42. सूचना अभिप्राप्त करने की शक्ति. - इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित किसी भी विषय पर विश्वविद्यालय से कोई भी सूचना मंगा सकेगी और विश्वविद्यालय, यदि ऐसी सूचना उसके पास उपलब्ध है तो ऐसी सूचना राज्य सरकार को युक्तियुक्त कालावधि के भीतर-भीतर देगा।

43. वार्षिक रिपोर्ट. - विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कुलपति के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी और बोर्ड के सदस्यों में बोर्ड की वार्षिक बैठक, जिसमें उस पर विचार किया जाना है, के एक मास पूर्व प्रचालित की जायेगी। बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान-मण्डल के सदन के पटल पर रखे जाने के लिए राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

44. परिनियम. - इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में किसी भी मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जायेगा:-

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य;
- (ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों की नियुक्ति या नामनिर्देशन और उनके पद पर बने रहने और इन प्राधिकारियों से संबंधित ऐसे समस्त अन्य मामले, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;
- (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम, नियुक्ति की रीति, शक्तियां, कर्तव्य और सेवा शर्तें;
- (घ) अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी नियुक्ति की रीति और उनकी सेवा शर्तें और अर्हताएं;
- (ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन, उपदान, बीमा और भविष्य निधियों का गठन;
- (च) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;
- (छ) विभागों की स्थापना, समामेलन, उप-विभाजन और समाप्ति;

- (ज) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों की स्थापना और उनकी समाप्ति;
- (झ) ऐसी धनराशियां जो विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी और ऐसे मामले जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जा सकेगी;
- (ञ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या और उनकी परिलब्धियां, और उनकी सेवाओं और क्रियाकलापों का अभिलेख तैयार करना और संधारित करना;
- (ट) विश्वविद्यालय के कार्य में नियोजित व्यक्तियों को संदत्त किये जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते, जिनमें यात्रा और दैनिक भत्ते सम्मिलित हैं; और
- (ठ) ऐसे अन्य समस्त मामले जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबंध किये जाने की अपेक्षा की गयी है या उपबंध किया जा सकेगा, या जो ऑर्डिनेन्सों और विनियमों से अन्यथा विहित किये जा सकेंगे।

45. परिनियम कैसे बनाये जायेंगे. - (1) परिनियम बोर्ड द्वारा, इसमें आगे उपबंधित रीति से बनाये, संशोधित या निरसित किये जा सकेंगे।

(2) बोर्ड, किसी परिनियम के प्रारूप पर या तो स्वप्रेरणा से या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर, विचार कर सकेगा।

(3) बोर्ड, यदि वह आवश्यक समझे, किसी प्रारूप परिनियम के बारे में, जो उसके समक्ष विचार के लिए है, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय की राय भी अभिप्रास कर सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा पारित किया गया प्रत्येक परिनियम कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या उसे रोक सकेगा या उसे पुनर्विचार के लिए बोर्ड के पास वापस भेज सकेगा।

(5) बोर्ड द्वारा पारित किया गया कोई भी परिनियम तब तक विधिमान्य या प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति द्वारा उस पर अनुमति न दे दी जाये।

(6) पूर्वगामी उप-धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुलाधिपति, या तो स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार की सलाह पर, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के बारे में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि बोर्ड ऐसे किसी निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिवस के भीतर-भीतर क्रियान्वित करने में विफल रहता है तो कुलाधिपति, बोर्ड द्वारा ऐसे निदेश का पालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, परिनियम बना सकेगा या उन्हें समुचित रूप से संशोधित कर सकेगा।

46. आर्डिनेन्स. - इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आर्डिनेन्सों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्: -

- (क) पाठ्यक्रम, छात्रों का प्रवेश या नामांकन, किसी भी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अध्येतावृत्ति के लिए अपेक्षित फीस, अर्हताएं या शर्तें;
- (ख) परीक्षकों की नियुक्ति और उनके निबंधनों और शर्तों को सम्मिलित करते हुए परीक्षाओं का संचालन;
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले या संधारित किसी छात्रावास या अन्य निवास-स्थान में निवास करने के लिए शर्तें, उनके लिए प्रभारों का उद्ग्रहण और अन्य संबंधित मामले;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा न चलाये जाने या संधारित किये जाने वाले छात्रावासों को मान्यता और उनका पर्यवेक्षण; और
- (ङ) विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों के द्वारा या अधीन विचार किये जाने के लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अपेक्षित ऐसा कोई भी अन्य मामला।

47. आर्डिनेन्स कैसे बनाये जायेंगे. - (1) बोर्ड, इसमें इसके आगे उपबंधित रीति से आर्डिनेन्स बना सकेगा, संशोधित या निरसित कर सकेगा।

(2) बोर्ड द्वारा शैक्षणिक मामलों से संबंधित कोई भी आर्डिनेन्स तब तक नहीं बनाये जायेंगे जब तक कि उनका कोई प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो।

(3) बोर्ड को उप-धारा (2) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप का संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे, भागतः या पूर्णतः, नामंजूर कर सकेगा या ऐसे किन्हीं भी संशोधनों के साथ, जिनका बोर्ड सुझाव दे, पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद् को लौटा सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त आर्डिनेन्स ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निदिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक आर्डिनेन्स दो सप्ताह के भीतर-भीतर, कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा। कुलाधिपति को आर्डिनेन्स की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर-भीतर, उसके प्रवर्तन को निलंबित करने का बोर्ड को निदेश देने की शक्ति होगी और वह, यथासंभव शीघ्र, उस पर अपने आक्षेप के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा। वह, बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात्, या तो आर्डिनेन्स को निलंबित करने वाला आदेश वापस ले सकेगा या आर्डिनेन्स को अननुज्ञात कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

48. विनियम.- (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम और परिनियमों और आर्डिनेन्सों से संगत निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगा-

- (क) अपनी बैठकों में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;
- (ख) ऐसे समस्त मामलों के लिए उपबंध करना जिनके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा, उस प्राधिकारी के द्वारा विनियमों द्वारा उपबंध किये जाने हैं; और
- (ग) ऐसे किसी भी अन्य मामले के लिए उपबंध करना जो केवल ऐसे प्राधिकारी से संबंधित हो और जिसके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंध नहीं किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को, बैठकों की तारीखों का और उन बैठकों में किये जाने वाले कार्यों का नोटिस देने के लिए और बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए उपबंध करते हुए विनियम बनायेगा।

(3) बोर्ड, इस धारा के अधीन विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये किन्हीं भी विनियमों में, ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने के लिए या उनके बातिलकरण के लिए निदेश दे सकेगा।

49. शक्तियों का प्रत्यायोजन.- बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से कोई भी शक्ति किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, प्रयोग की जाने के लिए परिनियमों द्वारा, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

50. अस्थायी व्यवस्थाएं.- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी समय और ऐसे समय तक, जब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का सम्यक् रूप से गठन नहीं हो जाता, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को ऐसे किसी भी प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) कुलपति अस्थायी नियुक्तियां, ऐसी नियुक्तियां करने के पश्चात् होने वाली बोर्ड की आगामी बैठक में बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, कर सकेगा।

51. अवशिष्ट उपबंध.- बोर्ड को ऐसे किसी भी मामले पर कार्यवाही करने का प्राधिकार होगा जो विश्वविद्यालय से संबंधित हो और जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है। ऐसे समस्त मामलों पर बोर्ड का विनिश्चय, कुलाधिपति द्वारा पुनरीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, अंतिम होगा और वह किसी भी न्यायालय या अधिकरण में आक्षेपणीय नहीं होगा।

52. कठिनाइयों का निराकरण.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र और मामलों में किन्हीं भी कठिनाइयों के निराकरण के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, -

- (क) निदेश दे सकेगी कि यह अधिनियम ऐसी कालावधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के, जो चाहे उपांतरण, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, और जो इस अधिनियम से संगत हों, अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे, प्रभावी होगा; या

- (ख) ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उसे ऐसी कठिनाइयों, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत हों, के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों; या
- (ग) ऐसी किन्हीं भी कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य अस्थायी उपबंध कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे:
- परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से बारह मास के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किये गये समस्त आदेश राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष चौदह दिवस की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं, या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे आदेशों में से किसी आदेश में कोई उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा आदेश केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) यदि इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं भी परिनियमों या आर्डिनेन्सों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों के निर्वचन के संबंध में या इस विषय में कि आया कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है या सदस्य होने का हकदार है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जा सकेगा और यदि कुलपति और बोर्ड के कोई भी दस सदस्य ऐसी अपेक्षा करें तो निर्दिष्ट किया जायेगा। कुलाधिपति, राज्य सरकार से ऐसी सलाह लेने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।